नि०/श्री/
11/8/11 85-A

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1168 / XXX(2) / 2011

देहरादूनः दिनांक 11 अगस्त, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 120 / XXVII(7) 40(12) / 2011 दिनांक 19 जुलाई 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य के शासनादेश संख्या वे.आ.–2–2057 / दस–54(एम) / 2008 टी.सी. दिनांक 8 सितम्बर 2010 के आधार पर उर्दू अनुवादकों के पदों को एक निश्चित अवधि में उच्चतर वेतनमान दिये जाने से पदों के कार्य एवं दायित्वों में कोई वृद्वि नहीं हो रही है, पदों के कार्य एवं दायित्वों में वृद्वि हुए बिना पृथक पदनाम एवं उच्चतर वेतनमान दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है और न ही इस आधार पर इनकी मिनिस्टीरियल संवर्ग से तुलना की जा सकती है।

2– समिति के द्वारा उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 8.9.2010 के आधार पर उक्त पदधारकों को एक निश्चित अवधि में उच्चतम वेतनमान देने से पदों के कार्य एवं दायित्वों में वृद्वि न होने के कारण उन्हीं कार्य व दायित्व में वृद्धि हुए बिना पृथक पदनाम व वेतनमान देने का आधार नही पाया और न ही अन्य मिनिस्टीरियल संवर्ग से तुलना का औचित्य पाया और उनकी संस्तुति के आधार पर सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक का पद चूंकि एकल पद है और एकल पद होने के कारण उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक को लिपिकीय वर्ग मानकर ही अन्य कनिष्ठ लिपिक की भॉति समयमान वेतनमान सुविधा के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 872 / XXVII(7) न.प्रति. / 2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा लागू ए.सी.पी. की व्यवस्था के अनुसार क्रमशः 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष में अगला उच्चतर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे की वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था का लाभ दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 474 / XXVII(7) / 2011 दिनांक 10 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 1168 (1) / XXX(2) / 2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव / अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल / कुमायू मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
7. वित्त (वे.आ.–सा.नि.)अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

u O Hindi-2011.doc